सत्यमेव जयते

केन्द्रीय वक़्फ़ परिषद्

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार)

दूरभाष संख्याः 011-29562146, 47
फैक्स : 011-29562137
ई–मेल : secycwc.wakf@nic.in
वेबसाइट : www.centralwaqfcouncil.gov.in

केन्द्रीय वक़्फ़ भवन,
पी–13 एवं 14, पुष्प विहार,
सैक्टर–6, साकेत,
फ़ैमिली कोर्ट के सामने
नई दिल्ली–110 017

मिसल सं0 52 (1)2006 (सी0 डब्ल्यू0 सी0) (हिन्दी) दिनांकः 14 सितम्बर, 2021

सेवा मे,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
समस्त राज्य/केन्द्र शासित राज्य वक़्फ़ बोर्ड

विषयः– राजभाषा हिन्दी के प्रचार प्रसार हेतु राज्य वक़्फ़ बोर्ड के कार्यालय **हिन्दी पखवाड़ा** के आयोजन हेतु।

महोदय,

राज भाषा अधिनियम,1963 तथा नियम, 1976 के तहत प्रावधानों के अनुसार, केन्द्र सरकार तथा कई अन्य राज्य सरकारों की हिन्दी, आधिकारिक भाषा है हिन्दी ने सभी भारतवासियों को एक सूत्र मे पिरोकर सदैव अनेकता मे एकता की भावना को पुष्ट किया है। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया। इस पावन दिवस की स्मृति में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिन्दी दिवस के रूप मे मनाया जाता है। वर्ष 1975 मे राजभाषा विभाग की स्थापना की गई और यह दायित्व सौंपा गया कि केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों/मंत्रालयों/उपक्रमों/बैंको आदि मे अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

2. सरकार के सभी कार्यालयों/मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/ बैंको आदि कार्यो को हिन्दी में निर्वाहित किया जा रहा है, ओर बड़े पैमाने पर इसे और तेज़ किया जा रहा है। राज्य/केन्द्र शासित राज्य वक़्फ़ बोर्ड, विशेष रूप से हिन्दी भाषी क्षेत्रों मे संचार के साधनों मे एकरूपता लाने के लिए, कार्यालय का कार्य यथासंभव हिन्दी भाषा मे किया जाना आवश्यक है।

3. राजभाषा संकल्प 1968 के अनुसार हमें हिन्दी के प्रसार एवं विकास की गति को और तीव्र करना है, एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार करके, उसे कार्यान्वित करना है। अतः राजभाषा विभाग माननीय प्रधानमंत्री जी के समृति विज्ञान के प्रयोग से प्रेरणा लेते हुए 12 प्र (प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रेम प्राइज़(पुरस्कार), प्रशिक्षण, प्रयोग प्रचार, प्रसार, प्रबन्धन, प्रोन्नति, प्रतिबद्वता और प्रयास की रणनीति को लेकर अग्रसर हो रहा है।

4. राजभाषा नियम, 1976 के नियम–12 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम 1963, नियमों तथा समय–समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराएं, इन प्रयोजनो के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जॉच–बिन्दु बनवाएं और उपाय करें।

5. अतः आपसे अनुरोध है कि कृप्या हिन्दी को राज्य/केन्द्र शासित राज्य वक़्फ़ बोर्ड की कार्यालीन भाषा के रूप मे अपनाने, उपयोग करने, प्रचारित करने का कष्ट करें। अंग्रेज़ी अनुवाद संलग्न है।

भवदीय

14/9/21

(मौ0 शादाँ ज़ेब ख़ान)
सचिव